भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2195
उत्तर देने की तारीख 12 मार्च, 2025

इंटरनेट शटडाउन

2195. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः
श्री जुगल किशोरः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री अनुराग शर्माः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी 2023 और जनवरी 2025 के बीच दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (लोक आपातकाल या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के अंतर्गत जारी किए गए इंटरनेट शटडाउन आदेशों की माहवार और जिलावार संख्या और ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में इंटरनेट शटडाउन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का कोई आकलन है;
(ग) क्या सेवाओं को निलंबित करने या इंटरनेट पहुंच को अवरुद्ध करने के आदेश डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1031/2019 में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10 जनवरी 2020 के निर्णय के अनुसार प्रकाशित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) केंद्र सरकार द्वारा उक्त नियमों के नियम 5 के अंतर्गत गठित समीक्षा समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और निष्कर्ष क्या हैं; और
(ङ) क्या ऐसे आदेश एमए संख्या 1086/2020 में दिनांक 23 फरवरी 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रकाशित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.01.2020 के डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1031/2019 में अपने आदेश के माध्यम से निलंबन आदेशों को पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करना अनिवार्य किया है; और दूरसंचार सेवाओं के निलंबन हेतु जारी सभी आदेश समानता के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए जारी किए जाएंगे; और ये अनिवार्य अवधि से अधिक समय के लिए जारी नहीं किए जाएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेशों को दिनांक 10.11.2020 को राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों/प्रशासकों को सम्प्रेषित कर दिया गया है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। तदनुसार राज्य सरकार/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए इंटरनेट निलंबन आदेशों से संबंधित ब्यौरा दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

देश में इंटरनेट शटडाउनों के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का दूरसंचार विभाग द्वारा कोई आकलन नहीं किया गया है।

दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति ने 10 बैठकें की हैं। दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमतियां गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

****